झारखंड उच्च न्यायालय, राँची
डब्ल्यू पी (एस) संख्या 113/2021

यदुनंदन तुरी (आयु लगभग 61 वर्ष),पिता- स्व. बुधन तुरी, काली मेला, जमाडोभा, डाकघर और थाना- जोड़ापोखर, जिला धनबाद ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1.झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2000 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण) द्वारा प्रबंध निदेशक, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, पीओ + पीएस + जिला धनबाद
2.सचिव, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, पीओ + पीएस + धनबाद
3.मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, पीओ + पीएस + जिला धनबाद

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिएः श्री तरुण कुमार नं. 1, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिएः श्री महावीर प्र . सिन्हा, अधिवक्ता

4/03.03. 2021 श्री तरुण कुमार नं. 1, याचिकाकर्ता के विद्वत वकील और श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, प्रतिवादियों के विद्वत वकील-जेएमएडीए को सुना।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर यह रिट याचिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी गई है।किसी भी पक्ष ने ऑडियो-वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभों और वेतन के बकाया, एसीपी के बकाया, छठे वेतन संशोधन, 50% डीए, वेतन वृद्धि, डीए, ग्रेच्युटी, ब्याज के साथ भविष्य निधि, समूह बीमा, अंतरिम राहत, क्षेत्रीय भत्ता, छुट्टी नकदीकरण, छठे केंद्रीय वेतन संशोधन का बकाया और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य देय राशियों के साथ-साथ अनुलग्नक-2 में उल्लिखित ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने के लिए यह रिट याचिका दायर की है.

श्री तरुण कुमार नं. १, याची के विद्वत वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद में सफाईकर्मी के पद पर ०४. ०६. १९८४ को नियुक्त किया

गया था.याचिकाकर्ता 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो गया था।वह आगे प्रस्तुत करते है कि उसके सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता ने अनुबंध-2 को ध्यान में रखते हुए अभ्यावेदन को प्राथमिकता दी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

> श्री महावीर पीडी सिन्हा, प्रत्यर्थियों-जेएमएडीए के विद्वत वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रत्यर्थी नं. २ के समक्ष नया अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जा सकता है जो जेएमएडीए द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और योजनाओं के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेंगे.

तदनुसार, याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह के भीतर सभी साख पत्रों के साथ प्रत्यर्थी नं. २ के समक्ष नया अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है.यदि ऐसा अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दाखिल किया जाता है, तो प्रतिवादी नं. २ उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर स्वीकृत बकाया राशि जारी करने के लिए जेएमएडीए द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों और योजनाओं के अनुसार निर्णय लेगा.यह कहने के बिना जाता है कि यदि निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में लिया जाता है, तो इसका लाभ उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में उपार्जित किया जाएगा.

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)

सत्यार्थी/-